विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016–17 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति तथा तद्क्रम में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद अल्मोडा की निम्नांकित देशी मदिरा दुकानें दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिए निर्धारित राजस्व पर द्वितीय चरण में भी व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं। उक्त अव्यवस्थित मदिरा दुकानों के निर्धारित राजस्व (01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिए) का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	दुकान का नाम	दुकान का प्रकार	ला0फीस	वार्षिक अधिभार	कुल राजस्व
01	पनुवानौला	देशी मदिरा	2132000	24513848	26645848
02	गनाई	देशी मदिरा	1352000	15551682	16903682
03	मासी	देशी मदिरा	829000	9529250	10358250
04	पण्डुवाखाल	देशी मदिरा	587000	6751547	7338547
05	भिक्यिासैंण	देशी मदिरा	1215000	13970687	15185687
06	भतरौजखान	देशी मदिरा	1142000	13132508	14274508
07	सराईखेत	देशी मदिरा	844000	9700424	10544424
08	स्याल्दे	देशी मदिरा	852000	9794028	10646028

उपरोक्त अव्यवस्थित देशी मदिरा दुकानों को दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिए निर्धारित राजस्व पर संचालित करने हेतु जनपद अल्मोडा के स्थायी निवासी पात्र आवेदको से उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व पर तृतीय चरण हेतु दिनांक 29.03.2016 की अपरान्ह 2:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र रू0 18,000/– आवेदन शुल्क, व्यक्तिगत पहचान पत्र व निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र के साथ आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉचोपरान्त दिनांक 30.03.2016 की सॉय 4:00 बजे से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में लाटरी पद्धति द्वारा दुकान का आवंटन किया जायेगा।

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में जमा सकते हैं। दुकान से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला आबकारी अधिकारी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

/

(मनोज कुमार उपाध्याय)
जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोडा।

संख्या 736 /पॉच–02/2015–16/व्यवस्थापन/2016–17/दिनांकःमार्च 26, 2016

प्रतिलिपि – 1. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा को अवलोकनार्थ।

2. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0, मुख्यालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ www.uttrakhandexcise.org.in पर अपलोड करने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जन सामान्य के अवलोकनार्थ www.almora.nic.in तथा www.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

4. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 अल्मोडा/क्षेत्र–2 रानीखेत/क्षेत्र–3 भिक्यिासैंण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त दुकानों को व्यवस्थापित कराने हेतु प्रचार प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5. नोटिस बोर्ड, जिला कार्यालय अल्मोडा, तहसील सदर अल्मोडा तथा समस्त तहसीलें जनपद अल्मोडा पर जन सामान्य के अवलोकनार्थ चस्पा करने हेतु।

जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोडा।